न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—372 / 2015 / 223 (2015 / 00309)

1. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 नारायण, जाति रेगर, निवासी रामनेर की ढाणी, तहसील व जिला अजमेर ।
2. श्रीमती रामेश्वरीबाई पुत्री स्व0 नारायण, जाति रेगर, नि0 रामनेर की ढाणी तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्तयार आम कन्हैयालाल पुत्र स्वर्गीय नारायण, जाति रेगर, निवासी रामनेर की ढाणी, तह0 व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती पारसी पत्नि हरकचन्द,
2. ओमप्रकाश पुत्र हरकचन्द,
3. शिवशंकर पुत्र हरकचंद,
   समस्त जाति रेगर, नि0 रेगर मौहल्ला, ग्राम रामनेर की ढाणी, तहसील व जिला अजमेर ।
4. राजेन्द्र पुत्र हरकचन्द, जाति रेगर, निवासी अग्रसेन नगर, रेल्वे लाईन के पास, कृष्णापुरी, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
5. सुशील पुत्र हरकचन्द, जाति रेगर, नि0 भंवरलाल ए0एस0आई0 के मकान के पीछे वाली गली, रेगर मौहल्ला, कृष्णापुरी, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर ।
6. श्रीमती सरोज पुत्री हरकचंद पत्नि किशनगोपाल जाति रेगर, नि0 रेगरान मौहल्ला, अरांई, तह0 अरांई, जिला अजमेर ।
7. हेमन्त पुत्र आशा पुत्री हरकचंद, पत्नि ओमप्रकाश,
8. कु0 सीमा पुत्री आशा पुत्री हरकचन्द,
9. कु0 सुमन पुत्री आशा पुत्री हरकचन्द,
   समस्त जाति रेगर, निवासी अग्रसेन नगर, टॉवर के पास, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
10. पूरणचंद पुत्र चौथमल, जाति रेगर, निवासी रामनेर की ढाणी, तहसील व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, अजमेर दिनांक 29.4.1998 अंतर्गत वाद संख्या 80 / 1989.

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री एन0के0 जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. श्री शिवस्वरूप माथुर, वकील रेस्पो0 संख्या 7 से 9
4. रेस्पो0 संख्या 4 से 6 व 10 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 14.08.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1998 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादी हरकचन्द ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण नारायण एवं पूरणचंद के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामनेर की ढाणी की गत आराजी खसरा संख्या 2182 रकबा 08—09—10 बीघा बारानी—2 जिसका हाल भू—संशोधन में नया खसरा नंबर 2316 बना है के खातेदार काश्तकार श्री किशन व सूजा पिसरान मांगू रेगर, निवासी रामनेर की ढाणी, तह0 व जिला अजमेर थे, से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.2.1978 को उक्त आराजी को क्रय किया तथा क्रय दिनांक से वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा लगान भी सरकार को जमा कराता आ रहा है । उपरोक्त आराजी का नामांतकरण भी दिनांक 24.9. 1985 को वादी के नाम से सहायक भू—प्रबंध अधिकारी (भू0अभिलेख), अजमेर ने स्वीकृत कर दिया लेकिन वर्किंग जमाबंदी में गलती से उपरोक्त आराजी का इंद्राज प्रतिवादीगण के नाम से हो गया जबकि प्रतिवादीगण न तो उपरोक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है और न ही उनका कोई संबंध ही है । वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार त्रुटिपूर्ण इंद्राज को दुरूस्त कराने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादीगण हर बार वादी को टालते रहे । इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम को हटाया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1998 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर खसरा नंबर 2182 हाल भू—संशोधन खसरा नंबर 2316 रकबा 8—9—10 वाके रामनेर ढाणी का खातेदार काश्तकार घोषित कर डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रारभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं मूल अपील पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत् अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र एवं बहस में कथन किया कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1998 के विरूद्ध उक्त अपील सन् 2015 में प्रस्तुत की गई है जो भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है किन्तु इस मियाद के संबंध में अपील के साथ आवेदन पत्र धारा 5 मियाद अधि0 ही प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद संख्या 80/89 हरकचंद बनाम नारायण व अन्य प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलांटस के पिता नारायण पुत्र रामदीन को वादपत्र के सम्मन तामील करवाये गये तथा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस के पिता नारायण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा दिनांक 17.2.1993 को ही अपीलांट के पिता नारायण जरिये अधिवक्ता के जवाबदावा प्रस्तुत किया था जिसका अपीलाधीन आदेश के पैरा संख्या 2 में स्पष्ट उल्लेख है । इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1998 की पूर्ण जानकारी अपीलांटस को थी एवं रही है इसके बावजूद अपीलांटस के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध उक्त अपील सन् 2015 में भारी मियाद बाहर पेश की गई है एवं मियाद के संदर्भ में अपील के साथ अलग से धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है । विद्वान वकील रेस्पो0/आपत्तिकर्ता

ने बहस मे आगे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में अपीलांट संख्या 1 के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 24/2011 कन्हैयालाल बनाम पूरणचंद व अन्य दिनांक 4.3.2011 को ही प्रस्तुत कर दिया जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को भी पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के द्वारा दिनांक 24.7.2014 को ही प्रस्तुत कर दिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलांटस को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भारी मियाद बाहर यह अपील पेश की गई है । राजस्व वाद संख्या 89/89 हरकचंद बनाम नारायण व अन्य के वाद में निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1998 के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पति व पिता हरकचंद का वाद स्वीकार किया गया, कि इस पर दीवानी न्यायालय श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1, अजमेर के समक्ष हर्जाने का वाद संख्या 105/1998 हरकचंद बनाम नारायण प्रस्तुत किया गया था । उक्त वाद में अपीलांट कन्हैयालाल द्वारा दिनांक 14.8.2002 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार चौसाला खसरा नंबर 2182 रकबा 8–9–10 की भूमि से अपीलांटस एवं उसके पिता नारायण का कोई लेना–देना नहीं था एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता हरकचंद का कब्जा स्वीकार किया । अपीलांटस ने उक्त समस्त तथ्य छिपाकर यह अपील भारी मियाद बाहर पेश की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार कर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत् अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 के संबंध में बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस के पिता नारायण पक्षकार थे जिन्हें प्रोपर तामील नहीं करवाई जिसकी पुष्टि अधी0न्याया0 की आदेशिका से होती है । अपीलांटस मान0 राजस्व मण्डल में अपीलांटस के पिता के स्वर्गवास पर विधिक वारिसान की कार्यवाही में पक्षकार बने है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत दावा पेश किया था जिसमें तहसीलदार आवश्यक पक्षकार थे किन्तु तहसीलदार को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे भी वादीगण/रेस्पो0 का वाद अधी0न्याया0 में संधारण योग्य नही था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । आपत्तिकर्ता/रेस्पो0 का यह कथन असत्य है कि अपीलांटस द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश नहीं किया गया है जबकि अपीलांटस द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश किया गया है जिसमें अपील विलंब से पेश करने के संबंध में समुचित एवं सद्भाविक कारण अंकित किये गये है । वादीगण/रेस्पो0 ने अपीलांटस के स्व0 पिता नारायण को व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई तथा अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के पूर्वज के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1998 पारित करवाई है। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी से प्रार्थीगण के स्व0 पिता नारायण ने मान0 राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करवाई थी । उक्त निगरानी मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 6.8.2015 को निर्णित कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध मान0 न्यायालय के समक्ष एक माह के भीतर अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ प्रकरण का निस्तारण किया गया है । उक्त निर्देशों की अनुपालना में प्रार्थीगण द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जिससे मियाद का बिन्दू का गौण हो जाता है । प्रार्थीगण परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार नहीं होने के कारण तथा प्रार्थी

संख्या 1 परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन था तब राजकीय सेवा में कार्यरत होने के कारण अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में लगा समय सद्भाविक होने से विलंब क्षमा किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक रूप से दोषपूर्ण होने से विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि ऐसे दोषपूर्ण निर्णय व डिक्री को चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । अतः रेस्पो0/आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1992 पेज 411 एवं आर0आर0डी0 1999 पेज 138 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने मूल अपील पर बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में अपीलांटस के पिता नारायण प्रतिवादी संख्या 1 नियुक्त है परन्तु दावे की कार्यवाही में उन पर कोई सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हआ तथा उनके स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र नारायण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो आदेश 5 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत है । अधी0न्याया0 के समक्ष हरकचंद ने नारायण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया था जिसका जवाबदावा कन्हैयालाल पुत्र नारायण द्वारा प्रस्तुत किया जिसे अधी0न्याया0 ने रिकार्ड पर लेने के आदेश देकर दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की तत्पश्चात् अपीलांटस के पिता नारायण के विरूद्ध दिनांक 22.7.1997 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई जिसे निरस्त करवाने हेतु आवेदन पत्र अपीलांट कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे अधी0न्याया0 ने कन्हैयालाल को वाद में पक्षकार नहीं होना मानकर निरस्त कर दिया जो विरोधाभासी आदेश है क्योंकि एक तरफ तो अधी0न्याया0 कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे को रिकार्ड पर लेकर तनकियात कायम की वहीं दूसरी ओर एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने के आवेदन पत्र को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष हरकचंद द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के सम्मन प्रतिवादी संख्या 1 नारायण पुत्र रामदीन को कभी भी तामील नहीं हुए ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 नारायण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में जाने व निर्णय व डिक्री पारित करने में अधी0न्याया0 ने विधिक त्रुटि कारित की है । परीक्षण न्यायालय के समक्ष हरकचंद द्वारा वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा संख्या 2182 रका 8–9–10 बीघा गलत व मिथ्या रूप से अंकित करवाया है जबकि वास्तविकता यह है कि ग्राम रामनेर ढाणी के साबिक खसरा नंबर 2182 का कुल रकबा 8–8–00 किस्म बारानी–2 ही है उक्त रकबे में से अपीलांटस के पिता स्व0 नारायण पुत्र रामदीन ने तत्कालीन खातेदार काश्तकार से 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.2.1978 को क्रय कर भूमि पर आज दिनांक अपीलांटस निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है तत्पश्चात् उपरोक्त आराजी के रकबे 8 बीघा 8 बिस्वा में से अपीलांटस के पिता द्वारा क्रय की गई भूमि को छोड़कर शेष भूमि 8 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि ही बचती है इसी के संबंध में रेस्पो0 के पिता को वाद प्रस्तुत करना चाहिये था । इस प्रकार रेस्पो0 के पिता हरकचंद ने जो बैनामा दिनांक 15.2.1978 को पंजीबद्ध करवाया है वह त्रुटिपूर्ण होने से उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं था जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि ग्राम रामनेर ढाणी के

साबिक खसरा नंबर 2182 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा ही है जो अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 से सिद्ध है इसके पश्चात् भू–प्रबंध विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी की अजमेर जिमें में वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में बनायी गई । उक्त जमाबंदी अप्रमाणित है जिसे कानूनन कोई मान्य राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है इसके उपरोक्त रेस्पो0 के पिता ने वादग्रस्त आराजी का जो बैनामा तैयार करवाया है वह भी त्रुटिपूर्ण है । वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष उद्घोषणा खातेदारी हेतु वाद प्रस्तुत किया था जिसमें भूमिधारक आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार मुर्तिब किये बिना वाद प्रस्तुत किये जाने से आवयक पक्षकार के अभाव मं वाद संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दू को नजरअदांज कर वाद स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1998 निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस को रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2005 (12) पेज 657, आर0बी0जे0 1999 पेज 152, आर0बी0जे0 1996 (3) पेज 221, आर0बी0जे0 1994 (1) पेज 231 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 एवं 7 से 9 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस द्वारा जानबूझकर अपील भारी मियाद बाहर पेश की गई है जिससे अपील मियाद के आधार पर ही निरस्तनीय है । अपीलाधीन भूमि चौसाला खसरा नंबर 182 मिन के वर्किंग खसरा नंबर 2316 मिन रकबा 8–12–00 था इसमें से रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता एवं पति हरकचंद ने जरिये पंजीबद्ध बैनामा दिनांक 15.2.1978 को रकबा 8'9–10 की भूमि क्रय की थी तथा शेष रकबा 0–2–10 जो कि रास्ते के लिये छोड़ दिया गया । इस प्रकार अपीलांटस द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में जो अपील पेश की गई है वह गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है । वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के अनुसार वर्किंग खसरा नंबर 2316 का कुल रकबा 8–12–00 बीघा दर्शित है तथा कुल रकबा 8–12–00 बीघा में से रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पति व पिता हरकचंद के पक्ष में अपीलाधीन डिक्री की पालना में वर्किंग खसरा नंबर 2316 रकबा 8–12–00 में से रकबा 8'9–10 के खातेदार वर्किंग जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 176 दिनांक 3.8.1999 के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता हरकचंद के नाम दर्ज कर दी गई तथा शेष रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी रास्ते के छोड़ी गई है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता के विक्रेतागण किशना व सूजा पुत्रगण मांगू जाति रेगा की भी वर्किंग खसरा नंबर 2316 का रकबा 8–12–00 ही दर्शाया गया है । इस संदर्भ में नामांतकरण संख्या 98 दिनाक 11.4.1979 के अनुसार भी वर्किंग खसरा नंबर 2316 का रकबा 8–12–00 ही है । विवादित भूमि पर पूर्व में हरकचंद तथा उनकी मृत्यु उपरांत रेस्पो0 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति बाबत् अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने का निस्तारण करना उचित समझते है । आपत्तिकर्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रथम आपत्ति यह की गई है कि अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद संख्या 80/1989 हरकचंद बनाम नारायण व अन्य में पारित

निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, के संबंध में अपीलांटस के पिता नारायण जो कि स्वंय अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार रहे है, को तामील करवाई गई है । अपीलांटस के पिता नारायण/प्रतिवादी ने जरिये अधिवक्ता श्री भागचंद सैन अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 17.2.1993 को उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया है जो अधी0न्याया0 की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 42 पर संलग्न है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकर से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट के पिता नारायण द्वारा अभिभाषक नियुक्त कर वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया गया था । इस प्रकार अपीलांटस का यह कथन कि अपीलांटस के पिता को प्रोपर तामील नहीं करवाई गई किया गया कथन स्वीकार्य नहीं है तथा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

9. रेस्पो0/आपत्तिकर्ता की दूसरी आपत्ति यह रही है कि एक अन्य राजस्व वाद संख्या 24/2011 कन्हैयालाल बनाम पूरणचंद व अन्य जो सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के न्यायालय में दिनांक 4.3.2011 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रार्थी/वादी कन्हैयालाल द्वारा स्वंय रेस्पो0 को पक्षकार बनाने हेतु एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 7 नियम 17 जा0 दी0 प्रस्तुत किया गया है जिसमें आक्षेपित डिक्री के आधार पर नामांतकरण संख्या 176 दिनांक 3.8.1989 का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । इस प्रकार अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रारंभ से पूर्ण जानकारी होना दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट था इसके बावजूद अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1998 के विरूद्ध समयावधि में हस्तगत अपील प्रस्तुत नही की गई है । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के साथ संलग्न वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 190 दिनांक 23.9.2013 का अवलोकन किया गया जिससे रेस्पो0 के कथनों की पुष्टि होती है ।

10. इसी प्रकार रेस्पो0/आपत्तिकर्ता का तृतीय आक्षेप यह है कि एक अन्य दीवानी वाद रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता व पति हरकचंद द्वारा अपीलांटस के पिता नारायण के विरूद्ध दीवानी वाद संख्या 105/1998 हरकचंद बनाम नारायण प्रस्तुत किया गया जो अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 1, अजमेर के समक्ष विचाराधीन रहते स्वंय अपीलांटस द्वारा दिनांक 14.8.2002 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से आक्षेपित निर्णय व डिक्री का उल्लेख किया गया है । जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1998 की जानकारी प्रारंभ से रही है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है प्रमाणित होता है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील भारी मियाद बाहर पेश की गई है तथा अपने मियाद प्रार्थना पत्र में भी विलंब के समुचित एवं संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है जबकि अपीलांटस को विलंब के संबंध में दिन–प्रतिदिन के विलंब के समुचित एवं संतोषप्रद कारण अंकित करना आवश्यक था । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अंकित कथनों से सहमत नही है कि अपीलांटस को आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1998 की जानकारी नहीं रही हो । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलांटस को आक्षेपित निर्णय व डिक्री की प्रारंभ से जानकारी रही है । जहां तक अपीलांटस का यह कथन कि अपीलांटस द्वारा मान0 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी टीए/जिला/अजमेर संख्या 155/2003 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 6.8.2015 को अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने के लिये अनुमति प्रदान की गई है इसलिये मियाद का बिन्दू गौण हो जाता है । इस संबंध में मान0 मण्डल के निर्णय दिनांक 6.8.2015 का अवलोकन किया गया । मान0 मण्डल

द्वारा अपने निर्णय में अपीलांटस को एक माह की अवधि में अपील प्रस्तत करने की अनुमति अवश्य दी है परन्तु मियाद के बिन्दू के संबधं में कोई निर्णय नहीं दिया है न ही हाजा न्यायालय को हस्तगत अपील को अंदर मियाद शुमार करने के लिये निर्देशित ही किया गया है । अपीलांटस द्वारा तथ्य छिपाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है ।

11. उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी/रेस्पो0/आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील भारी मियाद बाहर पेश किये जाने के फलस्वरूप मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य पायी जाती है ।

12. जहां तक प्रकरण में गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांटस का मुख्य कथन यह रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन भूमि साबिक खसरा नंबर 2182 रकबा 8–9–00 भूमि रेस्पो0 के पिता हरकचंद की मानने में त्रुटि की है जबकि अधी0न्याया0 को साबिक खसरा नंबर 2182 का रकबा 8–8–0 बीघा में से अपीलांट की रास्ते हेतु क्रयशुदा भूमि का रकबा 0–2–10 बीघा भूमि को छोड़कर शेष रकबा 8–5–10 का ही खातेदार घोषित करना चाहिये था परन्तु अधी0न्याया0 ने रकबा 8–9–10 बीघा का खातेदार मानकर निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर त्रुटि की है । इस संबंध में रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि स्वंय अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में साबिक खसरा नंबर 2316 का रकबा 8–12–00 प्रमाणित होता है । इसके अतिरिक्त स्वंय अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल अनुसार खसरा नंबर 2316 का रकबा 8–12–00 बीघा प्रमाणित है । पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार अपीलांटस द्वारा साबिक खसरा नंबर 2316 रकबा 8–12–00 बीघा में से 0–2–210 बीघा भूमि रास्ते हेतु क्रय की गई है तथा शेष रकबा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पति व पिता हरकचंद द्वारा पंजीबद्ध वि0क्रय पत्र दिनांक 15.2.1978 को रकबा 8–9–10 बीघा भूमि क्रय किया जाना प्रमाणित है । इस संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या व 2 का वादी के पक्ष में तथा तनकी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी के विरूद्ध व वादी के पक्ष में निर्णित करने में कोई त्रुटि कारित नही की है। अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने से तथा गुणावगुण पर साबित नहीं किये जाने से खारिज योग्य पायी जाती है ।

13. अतः अपील अपीलांटस भारी मियाद बाहर किये जाने तथा गुणावगुण पर दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1998 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 14.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर